From,

Saif Ahmad, Addition District & Sessions Judge, Court No. 03, Auraiya I

To.

The Registrar General, Hon'ble High Court, Allahabad.

Through,

The District Judge, Auraiya.

Regarding one time option to switch from National Pension System/New Pension Scheme to Old Pension Scheme or to remain in New Pension Scheme in light of Hon'ble High Court Letter No. 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated July 16, 2024.

Sir,

It is respectfully requested that the option proforma regarding choosing between the Old Pension or the New Pension Scheme has been issued by the Hon'ble High Court through the letter no. 9691/IV-F-82(Pension)/Admin.(A) Dated July 16, 2024. Given that, in the said option proforma, I have chosen the Old Pension scheme in place of the New Pension Scheme. This is my Final decision.

The said option proforma is attached with this letter. The above information also has been sent through eservices Portal. Previously I have sent the Proforma on 25.07.2024 but few errors were found in the pension proforma thus i am sending it again.

Therefore, you are requested to place my request/representation before Hon'ble Court for kind consideration.

With Regards.

Date- 14.08.2024

(Saif Ahmad)

Addition District & Sessions Judge, Court No. 03, Auraiya I

Enclosure as above

In the office of District Judge, Auraiya.

2164 I Letter No.

Date:-August 14, 2024

Forwarded

शासनादेश संख्या- 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)(2024 दिनांक 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक

## विकल्प पत्र

- 1. नाम **सैफ अहमद** (J.O. Code- UP 6404)
- वर्तमान पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया
- 3. वेतनमान- 144840-194660
- 4. वर्तमान विभाग का नाम- न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम
- न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6. विज्ञप्ति की तिथि 15.11.2003- (विज्ञप्ति संख्या-A-2/E-1/2003)
- 7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26 मई, 2006.
- 8. योगदान की तिथि **17 जून 200**6
- 9. जन्म तिथि- 30.07.1973
- 10. सेवानिवृत्ति की तिथि 31.07.2033

मैं **सैफ अहमद** पुत्र **स्व० सत्तार अहमद शास्त्री** शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अन्तिम समझा जाय।

सैफ अहमद

पदनाम- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

## घोषणा पत्र

मैं सैफ अहमद पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या -01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी हस्ताक्षर जिस्ताकार तथ्य छिपाया नहीं **गया है।** 

पदनाम– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया

सम्बन्धित कर्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री **सैफ अहमद** पदनाम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमिति प्रदान की जाती है। पदनाम को उपरोक्त नई पेंशन योजना

कार्यालयाध्यक्ष विष्णाप्यक्ष की संस्तृति